जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

सी0सी0ए0 केस सं0–14/16–17

राज्य –बनाम– सुरेश गोप

तिथि	आदेश	अभियुक्ति
23/08/16	वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक–1029/डी0सी0बी0, दिनांक:–18/07/2016 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी सुरेश गोप, पे0–कुँवर गोप, सा0–मुड़ाकाटी, थाना–बिरसानगर, जिला–पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(ए)(बी)(I)(II) के साथ पढने पर} के अन्तर्गत जिला निष्कासन हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। इस अपराधकर्मी पर वर्तमान में(1)बिरसानगर थाना काण्ड सं0–74/11 दिनांक 26.03.2011, धारा–307/324/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट तथा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (2) सिदगोड़ा थाना काण्ड सं0–89/15 दिनांक–18/5/15 धारा–307/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट तथा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं (3) बिरसानगर थाना काण्ड सं0–510/15 दिनांक– 27/10/15 धारा–307/324/326/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट दर्ज है। आरोप पत्र समर्पित है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि अपराधकर्मी बिरसानगर थाना एवं समीप के थाना क्षेत्रों के लोगों में भय फैला रखा है तथा इन दिनों इसका आतंक पूरे शहर में व्याप्त है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि अपराधकर्मी सुरेश गोप एक कुख्यात एवं पेशेवर अपराधकर्मी हैं। इनकी अपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि के कारण जमशेदपुर शहर के लोक व्यवस्था अशान्त हो गई है। इस अपराधकर्मी का मुख्य कार्य जमीनी विवाद कर अग्नेयास्त्र से गोली मारकर दहशत पैदा करना है। इनके एवं इनके सहयोगियों द्वारा किये गये अपराध से जमशेदपुर शहर के लोग काफी भयभीत हैं। इनके उपरोक्त अपराध से शहर में सामान्य जनजीवन अस्त –व्यस्त हो गया है एवं लोगों में खौफ पैदा हो गया है जो इन्हे एक असामाजिक व्यक्ति प्रमाणित करता है। इनके तथा इनके सहयोगियों के आतंक से लोग इनके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में शिकायत दर्ज नहीं कराते हैं और न ही गवाही देते है। इनके किया–कलापों के कारण यहाँ शांति व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित है एवं लोगों में इनके नाम से काफी खौफ है। इसे रोकने के लिए अपराध नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करने से आम जनता के मनोबल में वृद्धि होगी तथा दहशत का माहौल नियंत्रित होगा जो कि शहर में लोकशांति व्यवस्था बनाये रखने में सहायक सिद्ध होगा, जो इनके असामाजिक तत्व होने को प्रमाणित करता है। उपर्युक्त तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a)(b)(i)(ii) के अन्तर्गत अपराधकर्मी से कारणपृच्छा मांगा गया। अपराधकर्मी सुरेश गोप द्वारा समर्पित कारणपृच्छा में आधारहीन, बेबुनियाद एवं अप्रासंगिक तथ्यों का समावेशन किया गया है, जो स्वीकार	

योग्य नहीं है। उनके द्वारा आरोप को नकारने का प्रयास किया गया है। अपराधकर्मी सुरेश गोप द्वारा प्रस्तुत जवाब असंतोषप्रद है। इनके द्वारा कारित अपराध भा0द0स0 के चैप्टर XVI एवं चैप्टर XVII की श्रेणी के हैं जो झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा 2(d) के तहत् इनके असामाजिक तत्व होने का द्योतक है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत अनेकों अपराध कार्य किये गये हैं एवं इनके कृत्य से लोक व्यवस्था एवं लोक प्रशान्ति के भंग होने की प्रबल संभावना है।

अतः वरीय आरक्षी अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मैं संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुण्ण रखने के निमित अपराधकर्मी सुरेश गोप, पे0–कुँवर गोप, सा0–मुड़ाकाटी, थाना–बिरसानगर, जिला–पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को इस जिले से निष्कासन करना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा 3 (3)(a) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी सुरेश गोप, पे0–कुँवर गोप, सा0–मुड़ाकाटी, थाना–बिरसानगर, जिला–पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को दिनांकः–06/09/2016 से अगले छः माह अर्थात दिनांकः–05/03/2017 तक की अवधि के लिए इस जिले से निष्कासित करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा 7(1)(b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे रू0–25,000.00 का बंधपत्र (with two surities) दिनांकः–05/09/2016 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांकः–06/09/2016 से अगले छः माह अर्थात दिनांकः–05/03/2017 तक पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रवेश नहीं करेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण 2002 (अंगीकृत) धारा–7(2)(b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। विपक्षी सुरेश गोप झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–4 के तहत आवश्यकता होने पर Permission to return temporarily हेतु इस न्यायालय में आवेदन समर्पित कर अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति सुरेश गोप एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर तथा जिले के सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजा जाय।

(लेखापित)

Amit K 23.8.16
जिला दण्डाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

Amit K 23.8.16
जिला दण्डाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

Bond filed 03/09/16